



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092022-238915
CG-DL-E-19092022-238915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4177]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 19, 2022/भाद्र 28, 1944

No. 4177]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 19, 2022/BHADRA 28, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

का.आ. 4361(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, उक्त अधिनियम प्रयोजनों के लिए ऐसा करना इसे आवश्यक या समीचीन समझने पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, ओडिशा (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् प्राधिकरण, ओडिशा कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री सिसिर कुमार राठो, - अध्यक्ष ;
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ओडिशा सरकार)
सवेरियो प्लॉट नं. 3296/97 प्रकृति विहार, बरमंडा एटी/पीओ-
भुवनेश्वर, ओडिशा पिनकोड-751003
s.k.ratho@gmail.com

2. श्री बिस्वाजीत मोहंती, - सदस्य ;
सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन विभाग,
'अराधना' प्लॉट नं. 2560-केदारगौरी विहार, लिऊइस रोड,
भुवनेश्वर-751014, ओडिशा
vswagt56@gmail.com

3. निदेशक, पर्यावरण-सह-विशेष सचिव - सदस्य सचिव ।

2. प्राधिकरण, ओडिशा के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।
3. प्राधिकरण, ओडिशा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित है।
4. इस अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण, ओडिशा, ओडिशा राज्य (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एसईएसी, ओडिशा कहा गया है) के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपना विनिश्चय देगा ।
5. केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण, ओडिशा की सहायता करने के लिए ओडिशा राज्य सरकार के परामर्श से ओडिशा राज्य के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1. श्री शशि पॉल, अध्यक्ष ;
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव),
ओडिशा सरकार)
304, कल्पतरु निवास स्वर्णपुरी रोड, पतिया, भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा
(ओडिशा)-751024,
Shashipauls72@gmail.com
2. डा0 रवि नारायण पात्रा, सदस्य ;
अपार्टमेंट नं. टी5-0417, रॉयल लैगून, नंदनकानन रोड,
रघुनाथपुर, भुवनेश्वर-751024
rptra@hotmail.com
3. डा0 चितरंजन पांडा, - सदस्य ;
मुख्य वैज्ञानिक तथा प्रधान पर्यावरण और पोषनीयता के रूप में
सेवानिवृत्त,
सीएसआईआर-आईएमएमटी विभाग, भुवनेश्वर,
बीआईएम-454, सैलाश्री विहार, भुवनेश्वर-751021,
drpanda_cr@yahoo.com
4. डा0 अशोक कुमार साहू, सदस्य ;
मुख्य वैज्ञानिक तथा प्रधान, खनिज प्रसंस्करण विभाग,
सीएसआईआर-आईएमएमटी विभाग,
bhubaneswaraksahu@immt.res.in
5. आचार्य (डा0) हिमांशु भूषण साहू, सदस्य ;
खनन इंजीनियरी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राऊरकेला-
769008,
hbsahu@nitrrkl.ac.in, hbsahu@gmail.com

6. इंजीनियर फकीर मोहन पाणिग्राही, सदस्य ;
सेवानिवृत्त अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) निर्माण विभाग,
ओडिशा सरकार,
एम-35, के-6 (ए), कलिंगा विहार, भुवनेश्वर, डाकघर-पत्रापदा
भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा, ओडिशा-751019
Panigrahi.fakirmohan@gmail.com
7. डा० विजय कुमार सत्यपति, सदस्य ;
अभ्यागत वैज्ञानिक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर,
सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक, अनुसंधान और विकास नालको,
प्लॉट नं. 803, जयदेव विहार, भुवनेश्वर-751013
Bksatpathy15@gmail.com
8. डा० किशोर चंद्रा शेखर पाणिग्राही, सदस्य ;
(रीडर), जैव विज्ञान स्कूल, राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान
संस्थान (एनआईएसईआर), भुवनेश्वर, एचआइजी एस/2,
रानीमहल इंदिरा आवास कॉलोनी, भुवनेश्वर-751002
panigrahi@niser.ac.in
9. श्री जयंत कुमार दास, सदस्य ;
भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त पूर्व वन संरक्षक)
क्वार्टर नं. वीआईसी 2/2, यूनिट-1, भुवनेश्वर, ओडिशा-751009
jkdascuttack@gmail.com
10. डॉ० (श्रीमती) अबंति साहू, सदस्य ;
आचार्य, रसायन इंजीनियरी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
(एनआईटी), राऊरकेला
asahoo@nitkl.ac.in, abantisahoo@gmail.com
11. सदस्य-सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा सदस्य-सचिव ।
6. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओडिशा के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।
7. हित के किसी टकराव से बचने के लिए,--
- (i) प्राधिकरण ओडिशा और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओडिशा के अध्यक्ष और सदस्य,--
- (क) ऐसे परामर्शी संगठन, जिससे वे सहयुक्त रहे हैं, की घोषणा करेंगे और परियोजना प्रस्तावकों की भी घोषणा करेंगे;
- (ख) किसी ऐसी परियोजना, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण ओडिशा और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओडिशा द्वारा उनकी पदावधि के दौरान किया जाना है, के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं करेंगे, न ही उसके साथ सहयुक्त होंगे, और
- (ii) यदि गत पांच वर्षों में प्राधिकरण ओडिशा और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ओडिशा के अध्यक्ष या सदस्यों में से किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई हैं या उसके लिए ईआईए अध्ययन संचालित किया है, तो उस दशा में ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जा रही किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण ओडिशा और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ओडिशा की बैठकों में स्वयं उपस्थित होने का विरोध करेंगे।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओडिशा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित हैं।
9. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओडिशा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर पहुंचा नहीं जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।
10. ओडिशा राज्य सरकार, प्राधिकरण, ओडिशा और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओडिशा के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और उक्त सचिवालय, सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।
11. प्राधिकरण, ओडिशा के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ओडिशा के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता, ओडिशा राज्य सरकार के लागू नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. आईए 3-1/3/2022-आईए. III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2022

S.O. 4361(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereafter in this notification referred to as the said notification), the Central Government on considering it necessary or expedient so to do for the purposes of the said Act hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Odisha (hereafter in this notification referred to as the Authority, Odisha) comprising of following Members, namely: -

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | Shri Sisir Kumar Ratho, Indian Forest Services (Retired Principal Chief Conservator of Forests, Government of Odisha) Saverio Plot No.3296/97 Prakruti Vihar, Barmunda, at/PO-Bhubaneswar, Odisha
Pin code-751003,
s.k.ratho@gmail.com | Chairman; |
| 2. | Shri Biswajit Mohanty,
Retired Chief Engineer, Department of Water Resources,
'ARADHANA' Plot No. 2560-Kedargouri Vihar, Lewis Road,
Bhubaneswar-751014, Odisha,
vswagt56@gmail.com | Member, and |
| 3. | Director, Environment-cum-Special Secretary | Member-Secretary. |

2. The Chairman and Members of the Authority, Odisha shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Odisha shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

4. The Authority, Odisha shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted for the State of Odisha (hereafter in this notification referred to as SEAC, Odisha) by this notification.

5. To assist the Authority, Odisha, the Central Government in consultation with the State Government of Odisha, hereby constitutes the SEAC for the State of Odisha comprising of the following Members, namely: -

1. Shri Sashi Paul, Indian Forest Services (Retired Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Odisha),
304, Kalpataru Niwas Swaranpuri Road, Patia
Bhubaneswar,
District- Khurda (Odisha)-751024,
shashipauls72@gmail.com Chairman;
2. Dr. Rabi Narayan Patra Member;
Apartment No. T5-0417, Royal Lagoon, Nandankanan Road,
Raghunathpur, Bhubaneswar-751024,
rpatra@hotmail.com
3. Dr. Chittaranjan Panda, Member;
Retired as Chief Scientist and Head of Environment and Sustainability,
Department of CSIR-IMMT, Bhubaneswar,
VIM-454, Sailashree Vihar, Bhubaneswar-751021,
drpanda_cr@yahoo.com
4. Dr. Ashok Kumar Sahu, Member;
Chief Scientist and Head, Mineral Processing Department,
CSIR-Institute of Minerals and Materials Technology,
Bhubaneswaraksahu@immt.res.in
5. Professor (Dr.) Himanshu Bhusan Sahu, Member;
Department of Mining Engineering National Institute of Technology,
Rourkela-769008,
hbsahu@nitrrkl.ac.in, hbsahu@gmail.com
6. Er. Fakir Mohan Panigrahi, Member;
Retired Superintending Engineer (Civil) Works Department,
Government of Odisha,
M-35, K-6(A), Kalinga Vihar Bhubaneswar, P.O.- Patrapada
Bhubaneswar District- Khurda Odisha- 751019,
panigrahi.fakirmohan@gmail.com
7. Dr. Bijoy Kumar Satpathy, Member;
Visiting Scientist, Indian Institute of Technology Bhubaneswar, Retired
Executive Director, Research and Development NALCO,
Plot No. 803, Jaydev Vihar, Bhubaneswar – 751013,
bksatpathy15@gmail.com
8. Dr. Kishore Chandra Sekhar Panigrahi, Member;
Reader, School of Biological Sciences, National Institute of Science
Education and Research (NISER), Bhubaneswar,
HIG S/2, Rani Mahal, Indira Housing Colony, Bhubaneswar -751002,
panigrahi@niser.ac.in
9. Shri Jayant Kumar Das, Indian Forest Services (Retired ex. Conservator Member;
of Forests),
Quater No VIC 2/2, Unit-1, Bhubaneswar, Odisha-751009,
jkdascuttack@gmail.com
10. Dr. (Mrs.) Abanti Sahoo, Member;
Professor,
Chemical Engineering Department,
National Institute of Technology (NIT), Rourkela
asahoo@nitrrkl.ac.in, abantisahoo@gmail.com
11. Member -Secretary, State Pollution Control Board, Odisha, Member -Secretary.

6. The Chairman and Members of the SEAC, Odisha shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
7. In order to avoid any conflict of interest, -
- (i) the Chairman and Members of the Authority, Odisha and SEAC, Odisha,-
 - (a) shall declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;
 - (b) shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environment Impact Assessment (EIA) and Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Odisha and the SEAC, Odisha during their tenure, and
 - (ii) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Odisha and SEAC, Odisha have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, Odisha and SEAC, Odisha in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.
8. The SEAC, Odisha shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.
9. The SEAC, Odisha shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.
10. The State Government of Odisha shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Odisha and the SEAC, Odisha and the said Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.
11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Odisha and the Chairman and Members of the SEAC, Odisha shall be paid in accordance with the applicable rules of the State Government of Odisha.

[F. No. IA3-1/3/2022-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE , Jt. Secy.